



3338
17

पट्टा नामा (वांछित विवरण) क्रमांक : A 387

- 1- निर्धारित किराया राशि : 30,000/-रुपये प्रति वर्ष
- 2- पट्टे की समयावधि : 29 वर्ष
- 3- औसत वार्षिक किराया राशि : 30,000/-रुपये
- 4- धरोहर राशि : लागू नहीं
- 5- मूल्यांकन (जिस पर स्टाम्प दिया गया) : औसत वार्षिक किराया राशि 30,000/-रुपये का छः गुणा अर्थात् 1,80,000/-रुपये
- 6- कुल स्टाम्प : 3,600/-रुपये (निर्धारित 2 प्रतिशत की दर से) (बजरिये ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या-IN-UK-34900312733691P दिनांकित 21-09-2017)
- 7- प्रमुख क्षेत्र : गुजराडा मानसिंह
- 8- क्षेत्र : अर्द्धनगरीय क्षेत्र
- 9- स्थान : देहरादून
- 10- प्रमुख मार्ग से दूरी : मुख्य सहस्रधारा रोड (सहस्रधारा चौक से छतरी के मध्य) से लगभग 20 मीटर से अधिक की दूरी पर 15 फुट (4.57 मीटर) चौड मार्ग के साथ स्थित
- 11- सम्पत्ति संख्या : सम्पत्ति खसरा संख्या-317 (पुराना खसरा संख्या-118) कुल रकवा 139*40 वर्गमीटर जिस पर तीन मंजिला भवन निर्मित है, स्थित मौजा गुजराडा मानसिंह, परगना परवादून, जिला देहरादून।
- 12- पट्टादाता का नाम : श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोती लाल वैश्य निवासी-होटल हिल क्वीन, मसूरी, जिला देहरादून। (Pan No.-AAIPV 5836 D)
- 13- पट्टा ग्रहिता का नाम : श्रीमती आशीमा वैश्य आनन्द पत्नी श्री निशान्त आनन्द निवासी-प्लाट नम्बर-17, दून विहार, सहस्रधारा रोड, जिला देहरादून। (Pan No.-AMZPV 6715 E)
- 14- रचियता : जितेन्द्र कुमार गर्ग, एडवोकेट



Sheela Luxmi Shukla
Advocate
Dehradun

1

Ashima Varsh

Online Public Data Entry Summary

DISTRICT NAME : देहरादून SRO : देहरादून

UKP/DE/2017045122364

22-Sep-2017

11:02:01AM

Deed/Article Type : Lease
 Sub Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)
 Village/Location : गुजराडा मानसिंह (शेफी F)
 Area : 139.4000 वर्ग मीटर
 Transaction Value :0.00 Market Value :0.00 Regn Fees :1,800.00 Stamp Duty :3,600.00
 Advance : :30,000.00 Lease Period :29.00 Avg. Rent :30,000.00 Construction Value :0.00
 Khasra : :317 (Old 118) Khatoni :0 Khewat :0 House/Flat :0
 Land Value :0.00 Page :28 Words :1,000 Deed Writer /Advocate Name :Jitender Kumar Garg

ब्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	रकम
	आवासीय निर्माण का विवरण	
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार
		निर्माण तत्व
		ह्रास वर्ष
		रकम

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	1,800.00	0

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	3,600.00	0	21-Sep-2017	0

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	ब्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोतीलाल वैश्य निवासी होटल हिनहीन मसूरी देहरादून	<i>Ajay Vash</i>	BUSSINESS	AAIPV5836	0	PAN CARD : AAIPV5836D
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती आशिमा वैश्य आनंद पत्नी श्री निरान्त आनंद निवासी प्लॉट १७ डून बिहार सहस्रधारा रोड देहरादून	<i>Ashima</i>	OTHERS	AMZPV6715	0	PAN CARD : AMZPV6715E
गवाह	श्री निरान्त पुत्र श्री अशोक आनंद निवासी एच २२ वेहकपुरम कांबली रोड देहरादून	<i>N. Anant</i>	OTHERS		0	VOTER ID : WWWZ0029835
गवाह	श्रीमती रजनी वैश्य पत्नी श्री अजय वैश्य निवासी होटल हिनहीन मसूरी देहरादून	<i>Rajni Vash</i>	OTHERS		0	ADHAAR : 727806977338

ATTESTED TRUE COPY

Sm. *[Signature]* Shukla
 Advocate & Notary
 Dehradun



Ajay Kaur

Ashish Vash

ATTESTED TRUE COPY

[Signature]
Smt. Viji Shukla
Advoc. Notary
Dehradun

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

ASHIMA VAISH

AJAY VAIBH

15/07/1987

Permanent Account Number
AMZPV0719E

Ashima Vaish
Signature

11029001

Ashima Vaish

ATTESTED TRUE COPY

[Signature]
Smt. Vijay Luxmi Shukla
Advocate & Notary
Deliradun

स्थल छाया चित्र

सम्पत्ति खसरा संख्या-317 (पुराना खसरा संख्या-118) कुल रकवा 139*40 वर्गमीटर जिस पर तीन मंजिला भवन निर्मित है, स्थित मौजा गुजराड़ा मानसिंह, परगना परवादून, जिला देहरादून।



ATTESTED TRUE COPY

[Signature]
Smt. Vijay Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

[Signature]

हस्ताक्षर पट्टादाता

[Signature]

हस्ताक्षर पट्टा ग्रहिता




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand


e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK34900312733691P
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2017 03:44 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1201204/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120120470226715894295P
Purchased by	: ASHIMA VAISH ANAND
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: MAUZA GUJRADAMAN SINGH DDUN
Consideration Price (Rs.)	: 1,80,000 (One Lakh Eighty Thousand only)
First Party	: AJAY VAISH
Second Party	: ASHIMA VAISH ANAND
Stamp Duty Paid By	: ASHIMA VAISH ANAND
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 3,600 (Three Thousand Six Hundred only)



सजय कुमार शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
देहरादून

---Please write or type below this line.



Ajay Vaish



Ashima

ATTESTED TRUE COPY

Smt. Vijay Luxmi Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

0006025730

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा नामा

यह पट्टा नामा आज दिनांक 22-09-2017 को स्थान देहरादून में श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोती लाल वैश्य निवासी-होटल हिल वीन, मसूरी, जिला देहरादून। (जिसको कि इस विलेख में पट्टादाता कहकर सम्बोधित किया गया है।)

..... पट्टादाता

एवं

श्रीमती आशीमा वैश्य आनन्द पत्नी श्री निशान्त आनन्द निवासी-प्लॉट नम्बर-17, दून विहार, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून। (जिनको कि इस विलेख में पट्टा ग्रहिता कहकर सम्बोधित किया गया है।)

..... पट्टा ग्रहिता

के मध्य अंकित व निष्पादित हुआ।

जैसा कि पट्टादाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी व अध्यासी हैं। उक्त सम्पत्ति का भूखण्ड, पट्टा दाता ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24-09-2015 के द्वारा (1-श्री रवीन सिंह खुराना पुत्र श्री महेन्द्र वीर सिंह खुराना निवासी- ई-11, प्रथम तल, ब्लॉक-ई, गीतांजली मालवीय नगर, नई दिल्ली एवं (2-श्री कमल सिंह बांगा पुत्र श्री अवतार सिंह बांगा निवासी- वार्ड नं0 42, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, देहराखास, जिला देहरादून से क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक-प्रथम, देहरादून में वही संख्या-1 जिल्द 6574 के पृष्ठ 167 से 196 में नम्बर 5733 पर दिनांक 24-09-2015 को विधिवत् दर्ज एवं पंजीकृत है।

और जैसा कि उपहारदाता ने उक्त भूखण्ड क्रय करने के उपरान्त कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून से मानचित्र स्वीकृत करवाकर उस पर एक तीन मंजिला भवन का निर्माण किया। उक्त निर्माण सहित सम्पत्ति ही इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति है।

ajay
Vish

Ashima

ATTESTED TRUE COPY

V. K. Shukla
Smt. V. K. Shukla
Advocate
Dehradun

और जैसा कि उपरोक्त सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के भार, अधिभार, रहन, गिरवी, कुर्की, वाद विवाद, साझेदारी या हिस्सेदारी, कर्जा सरकारी या गैर सरकारी आदि-आदि से मुक्त पाक व साफ है तथा किसी भी राजकीय या राष्ट्रीय प्रयोजन हेतु अधिग्रहित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है तथा पट्टादाता के एकमात्र स्पष्ट स्वागित्व की है। उपरोक्त सम्पत्ति उत्तरांचल किराया नियन्त्रण अधिनियम प्रभावी नहीं है और पट्टादाता को उपरोक्त सम्पत्ति को किराये/पट्टे आदि पर देने के पूर्ण विधिक मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

और जैसा कि पट्टा ग्रहिता, पट्टादाता से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टे पर लेने की इच्छुक है और जिस पर पट्टादाता अपनी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टा ग्रहिता को पट्टे पर देने को तैयार है। जिस कारण यह पट्टा विलेख अंकित व निष्पादित किया जा रहा है।

अतः यह विलेख निम्न व्यवस्थाओं का साक्षी है :-

- 1- यह कि पट्टादाता ने अपनी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वार्षिक किराया रुपये 30,000/-रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) निर्धारित करके, अपनी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टा ग्रहिता को 29 वर्ष की समयवधि के लिए पट्टे पर दे दिया है तथा पट्टा ग्रहिता ने उक्त सम्पत्ति का रिक्त कब्जा प्राप्त कर लिया है।
- 2- यह कि पक्षकारों की आपसी सहमती व रजामन्दी से किराया राशि मुबलिन 30,000/-रुपये प्रति वर्ष की दर से तय पायी गई है।
- 3- यह कि पट्टा ग्रहिता ने एक वर्ष की किराया धनराशि मुबलिन 30,000/-रुपये (तीस हजार रुपये) बजरिये बैंक संख्या-525995 वास्ते बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मसूरी, जिला देहरादून, दिनांकित 21-09-2017 अग्रिम किराया राशि के रूप में पट्टादाता को अदा कर दी है।

उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति को पट्टादाता उपनिबन्धक देहरादून के समक्ष स्वीकार करता है।

Vijay Kumar

Abhinav

ATTESTED TRUE COPY

[Signature]
Smt. Vijay Kumar Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

4- यह कि पट्टादाता ने इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक रिक्त अध्यासन, मय सम्पत्ति पर उपलब्ध व लगे हुए समस्त फिचर्स-फिटिंग आदि सहित पट्टा ग्रहिता को आज सौंप दिया है, किन्तु पट्टे की समयवधि दिनांक 01-09-2017 से आरम्भ समझी जायेगी और प्रत्येक अंग्रेजी कलैण्डर मास के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष कुल 29 वर्ष अर्थात् दिनांक 31-08-2046 तक की होगी। यदि पक्षकार चाहेगें तो पट्टा समयवधि को इस विलेख की शर्तों के अनुसार एवं भविष्य में पक्षकारों के मध्य निर्धारित किराया राशि व नयी शर्तों के अनुसार आगे बढ़ा सकेंगें। इसमें पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

5- यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति में किरायेदारी की समयवधि के दौरान विद्युत व्यय, जल कर, भवन कर, सीवर कर, सेवा कर, जी0एस0टी0 आदि देनदारियों को किराया धनराशि के अतिरिक्त अलग से अदा करने का उत्तरदायित्व भी पट्टा ग्रहिता का होगा। इसमें पट्टा ग्रहिता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

6- यह कि किरायेदारी की समयवधि के दौरान पट्टा ग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उक्त सम्पत्ति का उपयोग जिस भी प्रकार चाहे इस्तेमाल करे, किन्तु पट्टा ग्रहिता उक्त सम्पत्ति पर बिना पट्टादाता की अनुमति व सहमति के किसी भी प्रकार का कोई स्थाई निर्माण, किसी भी प्रकार की कोई सारवान फेरबदल, संशोधन परिवर्तन आदि नहीं करेगी।

7- यह कि पट्टा ग्रहिता को यह भी अधिकार होगा कि वह पट्टे पर दी गई सम्पत्ति पर स्वयं के नाम से व स्वयं के व्यय एवं दायित्व पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विद्युत संयोजन, जल संयोजन, दूरभाष संयोजन, इंटरनेट संयोजन, मनोरंजन कैंबिल संयोजन आदि एवं व्यवसाय हेतु किसी भी विभाग से व्यवसाय से सम्बन्धित लाईसेन्स, अनुमति आदि प्राप्त कर सके। इसमें पट्टादाता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- यह कि किरायेदारी की समयवधि के दौरान यदि सम्पत्ति पर किसी प्रकार की मरम्मत जैसे-विद्युत या इलैक्ट्री सम्बन्धी किसी खराबी आदि अथवा सम्पत्ति पर हुई किसी टूट-फूट आदि को ठीक कराने हेतु किसी इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, राजमिस्त्री या

मकैनिक आदि को बुलाने और सम्बन्धित खराबी को दूर कराने की आवश्यकता पड़ती है तो पट्टा ग्रहिता उक्त हेतु पहले पट्टादाता को सूचित करेगी व पट्टादाता की सहमति के उपरान्त ही स्वयं के व्यय पर उक्त कार्य करवा सकेगी। इसमें पट्टा ग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9- यह कि पट्टा ग्रहिता, पट्टादाता को प्रत्येक अंग्रेजी कलैण्डर मास के सितम्बर माह की 7वीं तिथि तक किराया राशि, अग्रिम रूप से अदा करने की उत्तरदायी होगी। इसमें पट्टा ग्रहिता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि पट्टा ग्रहिता की ओर तीन वर्ष से अधिक की किराया राशि देय हो जाती है तो ऐसी दशा में पट्टादाता को अधिकार होगा कि वह पट्टा ग्रहिता की किरायेदारी को समाप्त करके उससे प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर ले। इसमें पट्टा ग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

10- यह कि यदि पट्टादाता निर्धारित समयावधि से पूर्व सम्पत्ति को रिक्त कराना चाहेगा तो वह एक माह पूर्व इसकी सूचना पट्टा ग्रहिता को देगा और यदि पट्टा ग्रहिता निर्धारित समयावधि से पूर्व सम्पत्ति को रिक्त करना चाहेगी तो वह भी एक माह पूर्व पट्टादाता को उसकी सूचना देगी किन्तु जिस माह के मध्य में पट्टा ग्रहिता सम्पत्ति को रिक्त करेगी, उस माह का पूर्ण किराया, पट्टादाता को अदा करेगी। इसमें पट्टा ग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11- यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति रिक्त करते समय पट्टा ग्रहिता सम्पत्ति पर उपलब्ध व लगे हुये समस्त फिक्सचर्स एवं फिटिंग्स आदि को सुरक्षित एवं चालू अवस्था में ही पट्टादाता को सौंपेगी। इसमें पट्टा ग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

12- यह कि किरायेदारी की समयावधि के दौरान पट्टादाता को पट्टा ग्रहिता की उपस्थिति में उक्त सम्पत्ति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इसमें पट्टा ग्रहिता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

13- यह कि यदि पट्टा ग्रहिता की ओर से इस विलेख में अंकित नियमों व शर्तों का उलघन किया जाता है तो ऐसी दशा में वह पट्टेदारी से बेदखली योग्य होगी व मानी जायेगी।

ATTESTED TRUE COPY

Smt. Vinod K. Shukla
Advocate
Delhi

Ashia Vash

14- यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर भूमि सीमा (रोपण विनियम) अधिनियम की धारा 10(3) से धारा 10(5) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है और न ही धारा 20 के अन्तर्गत छूट प्राप्त भूमि है।

15- यह कि पक्षकारों की आपसी सहमती व रजामन्दी से किराया राशि मुबलिक 30,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से तय पायी गई है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति की बाबत पट्टे की अवधि पक्षकारों की आपसी सहमति और इच्छानुसार 29 वर्ष तक के लिए तय पायी गयी है, इस लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उक्त सम्पत्ति, के औसत वार्षिक किराये की राशि मुबलिक 30,000.00 रुपये की छः गुणा अर्थात् मुबलिक 1,80,000/-रुपये पर नियमानुसार निर्धारित 2 प्रतिशत की दर से मुबलिक 3,600/-रुपये का स्टाम्प शुल्क बजरिये ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या- IN-UK-34900312733691P दिनांकित 21-09-2017 अदा किया जा रहा है।

16- यह कि इस विलेख में जहाँ-जहाँ शब्द पट्टादाता एवं पट्टा ग्रहिता प्रयोग में आया है, वहाँ-वहाँ उसमें उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, आदि का समावेश है।

सूची सम्पत्ति

सम्पत्ति खसरा संख्या-317 (पुराना खसरा संख्या-118) कुल रकबा 139.40 वर्गमीटर जिस पर तीन मंजिला भवन निर्मित है, स्थित मौजा गुजराड़ा मानसिंह, परगना परवादून, जिला देहरादून, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से हैं :-

पूरब में- सम्पत्ति श्री विनोद कुमार शर्मा, सीमा पर नाप 50 फीट

पश्चिम में- सम्पत्ति श्री रवीन सिंह खुराना आदि, सीमा पर नाप 50 फीट

उत्तर में - 15 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा पर नाप 30 फीट

दक्षिण में- सम्पत्ति श्री नारायण सिंह व अन्य, सीमा पर नाप 30 फीट

Chay Kumar

Abhishek

ATTESTED TRUE COPY

[Signature]
Smt. Vinay Laxmi Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32(ए) के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स
पट्टादाता का नाम एवं पता :- श्री अजय वैश्य पुत्र श्री गोती लाल वैश्य निवासी-होटल हिल
क्वीन, मसूरी, जिला देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



अजय वैश्य
..... पट्टादाता के हस्ताक्षर

पट्टा ग्रहिता का नाम एवं पता :- श्रीमती आशीमा वैश्य आनन्द पत्नी श्री निशान्त आनन्द
निवासी-प्लाट नम्बर-17, दून विहार, सहस्रधारा रोड, जिला देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



आशीमा वैश्य
..... पट्टा ग्रहिता के हस्ताक्षर

ATTESTED TRUE COPY

Shukla
Smt. V. ... Shukla
Advocate & Notary
Dehradun

अतः यह पट्टा नामा उपरोक्त तिथि, माह व वर्ष को साक्षीगणों के समक्ष अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित कर दी ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

(नोट :-पक्षकारों द्वारा अपनी छायाचित्रों व हस्ताक्षरों की पुष्टि स्वयं की गयी है व वर्तमान पट्टा विलेख पक्षकारों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार रचित किया गया है, वर्तमान पट्टा विलेख में वर्णित समस्त कथनों/तथ्यों की जांच एवं पुष्टि पक्षकारों द्वारा स्वयं की गयी है व वर्तमान पट्टा विलेख में वर्णित समस्त कथनों/तथ्यों की वास्तविकता/सत्यता का उत्तर दायित्व पक्षकारों पर स्वयं है)

हस्ताक्षर पट्टादाता

Ajay Vaidh

Rajni Vaidh

हस्ताक्षर पट्टा ग्रहिता

साक्षीगण :-

N. K.

1-श्री निशान्त
पुत्र श्री अशोक आनन्द
निवासी-एच-22, नेहरूपुरम,
कांवली रोड, जिला देहरादून।
(Voter I.D. No.-WWWZ0029835)

Rajni Vaidh
2-श्रीमती रजनी वैश्य
पत्नी श्री अजय वैश्य
निवासी-होटल हिल क्वीन,
मसूरी, जिला देहरादून।
(Aadhar No.-7278 0697 7338)

मेरे द्वारा रचित तथा मेरे कार्यालय में टंकित किया गया।

(प्रितेन्द्र कुमार गर्ग)
अधिवक्ता




बही संख्या 1 जिल्द 7234 के पृष्ठ 233 से 260 पर क्रमांक 3338

पर आज दिनांक 22 Sep 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, प्रथम
22 Sep 2017





नक्शा-नज़री

सम्पत्ति खसरा संख्या-317 (पुराना खसरा संख्या-118) कुल रकबा 139*40 वर्गमीटर जिस पर तीन मंजिला भवन निर्मित है, स्थित मौजा गुजराड़ा मानसिंह, परगना परवादून, जिला देहरादून।

पट्टादाता का नाम : श्री अजय वैश्य
पट्टा ग्रहिता का नाम : श्रीमती आशीमा वैश्य आनन्द

सम्पत्ति श्री नारायण सिंह एवं अन्य




हस्ताक्षर पट्टादाता

हस्ताक्षर पट्टाग्रहिता

5733
2015



क्र. B 46655



विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र -	16,73,000/-	रुपये।
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क दिया है -	16,73,000/-	रुपये।
स्टाम्प शीट की संख्या -	10	
स्टाम्प शुल्क -	83,700/-	रुपये।
आवास विकास शुल्क -		सहित।
कुल स्टाम्प -	83,700/-	रुपये।

में/हम कि 1. श्री रवीन सिंह खुराना पुत्र श्री महेन्द्र बीर सिंह खुराना, निवासी- ई-11 प्रथमतल, ब्लॉक ई, गीतांजलि, मालवीय नगर, नई दिल्ली व 2. श्री कमल सिंह बांगा पुत्र श्री अवतार सिंह बांगा, निवासी- वार्ड नं० 42, टी०एच०डी०सी० कालोनी, देहराखास, देहरादून, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।
— विक्रेता।

(विक्रेता सं० 1 का पैन- **BMCPK9538A**)

(विक्रेता सं० 2 का पैन- **BJEPB3953R**)

निम्नलिखित सम्पत्ति वाके - गुजराड़ा मानसिंह, परवादून, देहरादून।

का मालिक व काविज हैं और हमारी यह संपत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है उसको बदस्त श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोती लाल वैश्य, निवासी- होटल हिल क्वीन, मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

(पैन- **AAIPV5836D**)

— क्रेता।

को विक्रय कर दिया है बदले में विक्रय धन - मु० 16,73,000/- रुपये

को निम्न प्रकार वसूल पाया-

रु० 16,73,000/- आर०टी०जी०एस० द्वारा दिनांक 23/09/15 को खाता सं० 913010057269236, एक्सिस बैंक, दिल्ली में जमा किये।

Photocopy Attest

विवरण सम्पत्ति - विक्रय पत्र में "विवरण विक्रीत भूमि" में दिया गया है

RAM DAVY
Advocate/Notary
Reg. No. 49/1/2007
MUSSOORIE (Utd.)

Bingh

K.S. RANA



Wajay kash



खण्ड UTTARAKHAND

213856

2

विक्रय विलेख

1. श्री रवीन सिंह खुराना पुत्र श्री महेन्द्र बीर सिंह खुराना, निवासी- ई-11 प्रथमतल, ब्लाक ई, गीतांजलि, मालवीय नगर, नई दिल्ली व 2. श्री कमल सिंह बांगा पुत्र श्री अवतार सिंह बांगा, निवासी-वार्ड नं० 42, टी०एच०डी०सी० कालोनी, देहराखास, देहरादून, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)। —विक्रेता।

एवं

श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोती लाल वैश्य, निवासी- होटल हिल क्वीन, मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)। —क्रेता।

जो कि विक्रेता इस विक्रय पत्र के अन्त में सूची में वर्णित भूमि के एकमात्र मालिक, काबिज संक्रमणीय भूमिधर है, जिसमें विक्रेता का कोई अन्य साझी या भागीदार नहीं है।


निम्नलिखित भूमि क्षेत्रफल हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन व्ययन, कुर्का, जमानत, भू-अधिग्रहण आदि से मुक्त है तथा विक्रेता का नाम माल कागजात, खसरा-खतौनी में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

विक्रेता को निम्नलिखित भूमि - क्षेत्रफल, विक्रय - हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त है।

Birah

K.S. Bhat





ग्रण्ड UTTARAKHAND

213415

3

जो कि विक्रेता ने विक्रीत भूमि अन्य भूमि के साथ विक्रयपत्र दिनोंक 29/01/2014. को 1. श्री राम कृपाल सिंह पुत्र श्री राम कलां सिंह, निवासी- जे-16 शास्त्री नगर, मेरठ (उ0प्र0) 2. श्रीमती मंजू पत्नी स्व0 श्री मनोज कुमार, निवासी- ग्राम व पत्रालक नेक, जिला मेरठ (उ0प्र0) स्वयं व बहैसियत माता व प्राकृतिक संरक्षिका अपने अव्यस्क पुत्र व सहखातेदार मा0 रजत कुमार पुत्र स्व0 श्री मनोज कुमार निवासी- ग्राम व पत्रालय नेक, जिला मेरठ (उ0प्र0) से क्रय की जिसका पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून की बही नं0 1 जिल्द 1086 पृष्ठ 131/162 में नं0 543 पर दिनोंक 29/01/2014 को विधिवत पंजीकृत है।

विक्रीत भूमि को आज से पूर्व विक्रेता ने किसी रूप में बन्धित या हस्तान्तरित नहीं किया है और ना ही किसी अन्य को किसी भी रूप में बन्धित या हस्तान्तरित करने का अनुबन्ध लिखित या मौखिक रूप से किया है। विक्रेता ने विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम कोई विक्रयपत्र, वसीयत, दानपत्र, पट्टानामा, आदि अभिलेख अंकित नहीं किया है।

Bingh

M. S. Bhatia





UTTARAKHAND

211143

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार देहरादून
4-7-2015

4

विक्रेता उपरोक्त ने निम्नलिखित भूमि - क्षेत्रफल विक्रय करने का सौदा क्रेता से रु0 16,73,000/- (रुपये सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र) में किया हुआ है। इसी प्रतिज्ञापूर्ति में यह विक्रय पत्र सम्पन्न किया जा रहा है।

विक्रय मूल्य उक्त वर्णानुसार कुल क्रेता से, विक्रेता को प्राप्त हो गया है।

जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है। विक्रय प्रतिफल के मध्य अब कोई धनराशि शेष नहीं है।


कब्जा सूची में वर्णित भूमि रकबे पर विक्रेता ने क्रेता महोदय का अपने समान पाक व साफ दशा में मौके पर करा दिया है।


आज से क्रेता को हक होगा कि वह सूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल पर भवन बनाये, खेती करे यानि जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपयोग, उपभोग आदि करे जिसमें विक्रेता, उनके किसी उत्तराधिकारी, वारिसान आदि को कोई एतराज नहीं है और ना ही भविष्य में कभी होगा। आज दिन तक के कर, लगान आदि अदा करने का दायित्व विक्रेता का होगा। आज के बाद यह दायित्व क्रेता का होगा।

Bingh

K.S. Bhatta

Jay Kohli





TARAKHAND

1999

211209

[Handwritten mark]

5

विक्रीत भूमि या इसका कोई भाग विक्रेता के किसी विक्रय अधिकार दोष की कमी के कारण क्रेता महोदय के अध्यासन से निकल जाये या उनको किसी प्रकार हानि सहन करनी पड़े तो उसका विधिक दायित्व ब्याज सहित विक्रेता पर होगा।

क्रेता को अधिकार होगा कि वह वर्णित भूमि क्षेत्रफल को स्वामित्व अभिलेखों से विक्रेता के नाम से खारिज करवाकर स्वयं के नाम पर अंकित करावे।


क्रेता महोदय के स्वामित्व की पुष्टि हेतु यदि किसी लेख, बयान आदि लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा बयान विक्रेता, क्रेता महोदय की मांग एवं व्यय पर लिख कर देंगे।

क्रेता व विक्रेता में उनके उत्तराधिकारी, वारिसान व स्थानापन्न भी सम्मिलित है व समझे जायेंगे।

मुख्य कोषाधिकारी

[Handwritten signature: Singh]

[Handwritten text: N.S. 1/1999]



[Handwritten signature: Singh]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 986129

6

वांछित विवरण -

- विक्रेता किसी प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है।
- विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र, तहसील देहरादून में स्थित है तथा आवासीय भूमि है। विक्रीत भूमि से लगते रास्ते की चौड़ाई 15 फीट यानि 4.57 मीटर है जिसमें फुटपाथ व नाली भी सम्मिलित है। विक्रीत भूमि मुख्य सहस्रधारा रोड (सहस्रधारा चौक से छतरी तक के मध्य) से लगभग 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
- विक्रीत भूमि नगर निगम की सीमा से बाहर है।
- विक्रीत भूमि पर कोई पेड़, बाग या निर्माण कार्य नहीं है।
- विक्रीत भूमि नगर भूमि सीमारोपण के प्राविधानों से मुक्त है तथा इस अन्तरण से नगर भूमि सीमारोपण की धारा 5(3), 10(3), तथा 20(1) का उल्लघन नहीं किया गया है।



Shweta



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 986130

7

- विक्रीत भूमि का सर्किल रेट 12,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर है।
- विक्रीत भूमि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
- क्रेता उत्तरांचल/उत्तराखण्ड के कृषक/खातेदार परिवार का सदस्य है तथा उत्तरांचल अधिनियम सं० 29 वर्ष 2003 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।

B Singh



Jay Vaish

14 SEP 2015

भारतीय गैर न्यायिक
उत्तराखण्ड



राखण्ड UTTARAKHAND

B 986131

8

विवरण विक्रीत भूमि

भूमि भाग खसरा संख्या 317 (पुराना खसरा संख्या 118) क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट यानि 139.40 वर्गमीटर, स्थित ग्राम गुजराड़ा मानसिंह, परगना परवादून, जिला देहरादून।

जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं -

पूरब में - भूमि श्री विनोद कुमार शर्मा, भुजा नाप 50 फीट।

पश्चिम में - भूमि विक्रेता, भुजा नाप 50 फीट।

उत्तर में - 15 फीट चौड़ा रास्ता, भुजा नाप 30 फीट।

दक्षिण में - भूमि श्री नारायण सिंह व अन्य, भुजा नाप 30 फीट।

(मय सर्वाधिकार)

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 24/09/2015 को स्थान देहरादून में लिख दिया ताकि प्रमाण रहें व समय पर काम आवे।

B. Singh



Atulya Khandelwal

सहायक को-ऑपरेटिवरी रिकॉर्ड
कॉन्सल्टिंग देहरादून
14 SEP 2015



B 010470

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

कोषागार, देहरादून
(उत्तराखण्ड)
निर्मल किशोरा
क्र. 2 सीएल-091

9

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32- ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स
प्रथम पक्ष / विक्रेता का नाम एवं पता- 1. श्री रवीन सिंह खुराना पुत्र श्री महेन्द्र वीर सिंह
खुराना, निवासी- ई-11 प्रथमतल, ब्लॉक ई, गीतांजलि, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



Handwritten signature: Jay Kohli




प्रथम पक्ष / विक्रेता के हस्ताक्षर




उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रथम पक्ष / विक्रेता का नाम एवं पता- 2. श्री कमल सिंह बांगा पुत्र श्री अवतार सिंह बांगा,
 निवासी- वार्ड नं० 42, टी०एच०डी०सी० कालोनी, देहराबास, देहरादून, जिला देहरादून
 (उत्तराखण्ड)।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
 अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
 अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा



Handwritten signature



प्रथम पक्ष / विक्रेता के हस्ताक्षर



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


M 295430

कोचिंगार, देहरादून
 (उत्तराखण्ड)
 17 NOV 2015
 नॉटरी पब्लिक

द्वितीय पक्ष/क्रेता का नाम एवं पता- श्री अजय वैश्य पुत्र श्री मोती लाल वैश्य, निवासी- होटल हिल क्वीन, मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।
 बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
 अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह
 अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका




Ajay Vash
 द्वितीय पक्ष/क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी सं 1 *Rajesh Malik*
RAJAT MOHAN
 S/o Keshav Dew
 26/164 Sukhvillegan
 Delhi, 110007

साक्षी सं 2 *Ramesh Prasad*
 S/o श्री: बुलाराज
 RAM नं 28, 21मि कपलानी पोस्ट सुआरके
 जिला 561
 45/140-141 20707

DL-0119940042751
 प्रचयिता श्री पी 0 वी 0 थपलियाल, एडवोकेट, देहरादून।
 Photocopy Attested

Om 29/11/15
 R. S. B. 113
 Notary
 Registered
 11/2007
 MUSOORIE (Utt.)



42/2 184

24/9 184
बालशा राव
राजस्थान
राजस्थान सरकार

23 SEP 1115

बही संख्या 1 जिल्द 6,574 के पृष्ठ 167 से 196 पर क्रमांक 5733
पर आज दिनांक 24 Sep 2015 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

[Handwritten Signature]

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, प्रथम
24 Sep 2015

